



प्रेषक.

राम सहाय यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,
उ०प्र०, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 29-03-2026

विषय: उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत मेसर्स एन०आई०एफ०, प्रा० लि०, कानपुर देहात को ब्याज उपादान (प्रतिपूर्ति) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-920/दुग्ध-4/दुग्ध नीति-2022/बजट/2025-26. दिनांक 24.03.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत मेसर्स एन०आई०एफ०, प्रा० लि०, कानपुर देहात के ब्याज उपादान (प्रतिपूर्ति) सम्बन्धित प्रस्तुत प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय इम्पायर्ड समिति द्वारा प्रदत्त स्वीकृति तथा संयुक्त निरीक्षण दल (जे०आई०टी०) के अनुदान दिये जाने की संस्तुति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह दिसम्बर-2023 से मार्च-2024 तक तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह अप्रैल-2024 से माह मार्च-2025 तक परियोजना की स्थापना हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज दर 9.55, 9.65 तथा 9.90 प्रतिशत के अनुसार कुल देय धनराशि रू० 3,97,13,184.00 के सापेक्ष बैंक द्वारा 5.00 प्रतिशत की दर से आगणित एवं प्रमाणित ब्याज की धनराशि रू० 60.99 लाख (रूपये साठ लाख निन्यानवे हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त उ०प्र० दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित कुल धनराशि रू० 2500.00 लाख में से उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष मेसर्स एन०आई०एफ०, प्रा० लि०, कानपुर देहात को वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ब्याज उपादान (प्रतिपूर्ति) की धनराशि 60.99 लाख (रूपये साठ लाख निन्यानवे हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

- (1) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाईडलाइन्स का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- (2) अनुदान वितरण से पूर्व अर्हताओं एवं औपचारिकताओं की पूर्ति तथा उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा-निर्देश में अपेक्षित प्रपत्रों/अभिलेखों की पुष्टि दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 अंतर्गत संस्थाओं/प्रमोटर्स के ब्याज उपादान के भुगतान हेतु किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का निर्धारित मद से इतर किसी अन्य मद में किये जाने वाला व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।
- (6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को निर्धारित मद में व्यय कराने व उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, 30प्र0 का होगा।
- (7) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, 30प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य/मद हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है।
- (8) प्रस्ताव में आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, 30प्र0 का होगा।
- (9) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, 30प्र0 का उत्तरदायित्व होगा।
- (10) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में कर लिया जायेगा।
- (11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 30प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27 मार्च, 2025 एवं समय-समय पर निर्गत संगत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (12) दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 60,99,000 (रुपये साठ लाख निन्यानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 016 लेखा शीर्षक 2404001021100 उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति- 2022 मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राम सहाय यादव
विशेष सचिव।

संख्या-18/2026/325(1)/002-53-1099-099-4-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं पात्रता) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/प्रयागराज।
- 3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी. जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- वित्तीय नियंत्रक, दुग्धशाला विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3.30प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

7- दुग्ध विकास अनुभाग-2. उत्तर प्रदेश शासन।

8- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राम सहाय यादव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।